International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 22-11-2025, Accepted: 21-12-2025, Published: 05-01-2026
Volume 12, Issue 1, 2026, Page No. 5-7

स्वदेश दीपक के नाटक 'कोर्ट मार्शल' की प्रासंगिकता का अध्ययन

डॉ0 सुरभि श्रीवास्तव
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सरस्वती उच्च शिक्षा एवं तकनीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
हिन्दी नाटककारों ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से दलितवर्ग की त्रासदी और पीड़ा को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल नाटक दलितों की पीड़ा, त्रासदी, संत्रास, वेदना और अभाव को उजागर करनेवाला नाटक है। कानून और संविधान द्वारा सबको समान अधिकार और दर्जा देने के बावजूद समाज में दलितों के साथ असमानता का व्यवहार किस प्रकार किया जाता है और आज भी उच्च वर्ग के मन में निम्न वर्ग के प्रति किस प्रकार जहर, विरोध और घृणा है इसका यथार्थ चित्रण स्वदेश दीपक ने कोर्ट मार्शल नाटक में किया है। कैप्टन बी.डी. कपूर द्वेष, तिरस्कार और अहंकार से भरा हुआ संकुचित मानसिकता वाला व्यक्ति है, जो रामचंदर को निरंतर प्रताड़ित करता रहता है।
अपमान और जहालतपूर्ण नीच व्यवहार बी.डी. कपूर की आदत बन जाती है। परिणामस्वरूप रामचंदर घुट–घुटकर जीने को मजबूर हो जाता है। जाति विषयक गंदी–गंदी गाली देकर प्रताड़ित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रामचंदर की सहनशीलता की मर्यादा टूट जाती है। कर्तव्यदक्ष, ईमानदार और मुस्तैद रामचंदर हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है और बी.डी. कपूर तथा कैप्टन मोहन वर्मा पर रायफल से गोली चला देता है, जिसमें कैप्टन मोहन वर्मा की उसी जगह पर ही मौत हो जाती है और बी.डी. कपूर गंभीर रूप से घायल हो जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य
- स्वदेश दीपक के नाटक कोर्ट मार्शल का परिचय।
- दलित उत्पीड़न की समस्या को उजागर करने वाला नाटक कोर्ट मार्शल की मूल संवेदना को पाठकों तक पहुंचाना।
- समाज में आज भी घटित होने वाली दलित उत्पीड़न की घटनाओं का परिचय प्राप्त करना और इस नाटक की समस्या के साथ जोड़ने का प्रयास करना।
- कोर्ट मार्शल नाटक की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।
- दलितों के प्रति होने वाले अत्याचार आदि की घटनाओं का चित्रण करके समाज को इन अत्याचारों के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करना आदि।

शोध पद्धति
वर्तमान शोध आलेख सामग्री विश्लेशण पद्धति पर आधारित है। इसके लिए द्वितीयक स्रोतों जैसे पुस्तकें और लेखों इत्यादि से सामग्री प्राप्त की गयी है।

मूल शब्दः दलित, कोर्ट मार्शल, उत्पीड़न, अत्याचार, प्रासंगिकता, समाज, भेदभाव, अधिकार, वर्ण व्यवस्था आदि

प्रस्तावना
दलित नाटक एक ऐसे नाटक को माना जाता है जो दलित समुदाय के अनुभवों, संघर्षों और अधिकारों को प्रस्तुत करता है। यह नाटक दलितों के जीवन की विडम्बनाओं का यथार्थ चिलण करते हुए उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। दलित नाटक में अक्सर दलित समुदाय के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव, अत्याचार और उत्पीड़न को दिखाया जाता है। यह नाटक दलितों के जीवन में परिवर्तन लाने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ण व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में अस्पृश्यता, उच्च–निम्न और जाति–पाति गत भेदभाव का प्राबल्य बढ़ता गया। जिसके कारण शोषण, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, अभाव, त्रासदी दलितों के पर्यायी शब्द बन गये। सामाजिक प्रताड़ना के कारण दलितों का जीवन असह्य हो गया। समाज में उच्च–निम्न की खाई गहरी हो गई, परिणामस्वरूप असंतोष, विरोध, संघर्ष और न्याय की मांग समाज के हर जागृत और संवेदनशील तबक से उठने लगी। समाज–सुधारकों में दलितों के साथ होने वाले अन्याय के विरोध में आवाज उठाई और दलितों को न्याय देने का और उनके वास्तविक परिस्थिति का बोध समाज के तथाकथित सभ्य समाज के सामने लाने का प्रयास किया।
साहित्यकारों ने भी अपना दायित्व निभाते हुए समाज के वंचित घटकों के पक्ष में आवाज उठाई और जातीयता की जड़े कमजोर कर उसका डटकर मुकाबला किया। हिन्दी साहित्यकारों ने दलितों के साथ होनेवाले दुराचार और अनीति को साहित्य के माध्यम से वाणी प्रदान की। दलितों को उनकी वास्तविकता की पहचान कराने का प्रयास किया। वंचित और शोषित वर्ग को सचेत, जागृत, आत्मनिर्भर, और निडर बनाने का प्रयास साहित्य के माध्यम से किया जाने लगा। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, नाटक आदि साहित्य विधाओं में दलित वर्ग की पीड़ा को प्रखरता से उघाडा गया। हिन्दी साहित्य ने जनवादी साहित्य का निर्माण किया। परंपरागत विचारों को नकारते हुए नए दृष्टिकोण को अपनाया जिसके कारण नयी भावभूमि, नयी धरती, नयी विचारधारा, और नये मूल्यों को साहित्य में स्थान प्राप्त हुआ। दलित साहित्य विशिष्ट जाति से जुडा न होकर सर्वहारा वर्ग, किसान, मजदूर, अछूत, अनुसूचित जाति, जनजाति, नारी, आदि वर्ग से जुड़ा है जो उच्च समाज और उनके द्वारा प्रचलित व्यवस्था द्वारा कुचले गये हैं।
संवेदना और संरचना शिल्प दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्वदेश दीपक द्वारा लिखित कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन 1991 ई० में हुआ। विद्रोही चेतना से ओतप्रोत मूलतः दलित चेतना से उत्प्रेरित यह नाटक फौजी नैतिकता का पोस्टमार्टम करता है। इस नाटक के केवल दो ही ही अंक हैं। जीवन के आधुनिक सन्दर्भ में साक्षात होने वाली विसंगतियों, बेरहम सच्चाईयों, भयावह गैरमानवीय कूटतंत्रों, व्यवहारमूलक क्रूरताओं एवं इन सब

के बीच छटपटा कर रहने वाले आदमी की सहायताओं के साक्षी रहने वाले नाटककार के अंतरंग में जागृत विद्रोह इस नाटक को अपने स्वर भेद के लिए अलग कर देता है। इस कारण इसमें अनुभव की गहराई से बनी अभिव्यक्तिमूलक सहजता इस विद्रोही स्वर को सर्वाधिक आत्मीय एवं तीक्ष्ण बनाने में समर्थ हुई है। यही नहीं, इसमें स्वीकृत भाषा ने भी रंगमंचीय लय ताल से समन्वित होकर इसके प्राणभूत अन्तः सघर्ष या तनावपूर्ण आभ्यंतर स्थिति को उसकी पूर्णता में सहृदय तक पहुँचाने में सफलता हासिल कर ली है।

कोर्ट मार्शल नाटक का परिचय

इस नाटक का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है। रामचन्दर एक दलित जवान है। वह जाति से भंगी है। वह हृष्ट–पुष्ट तथा बड़ा स्पोर्ट्समैन भी है। पाँच हजार मीटर की दौड़ में जब वह प्रथम निकला तो सी.ओ. साहब ने खुश होकर रामचन्दर को एक्स्ट्रा डायट और स्पेशन ट्रेनिंग दिलवाने का आदेश दिया। वे चाहते थे कि रामचन्दर काफी तैयारियाँ करके उत्तरी कमान के खेल मुकाबले में सफल निकले। लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा को निम्न जात वाले को दिया जाने वाला यह प्रोत्साहन दो कारणों से अच्छा नहीं लगता है। एक तो वह भंगी है। इसलिए उनकी दृष्टि में वह हमेशा अधः स्थिति ही रहे। दूसरा यह कि कैप्टन कपूर ने पहले अपने नाम पर पाँच हजार की दौड़ का रिकार्ड बना रखा था। उसे भय था कि कहीं वह भंगी अपने इस रिकार्ड को तोड़ न दे। इसलिए कैप्टन कपूर ने रामचन्दर को विशेष अभ्यास स्वयं देने का बहाना करके अपना अर्दली बना लिया। तब से रामचन्दर की दुर्दशा आरंभ होती है। उसे खेल–कूद के अभ्यास के लिए आवश्यक समय प्राप्त कराने के बदले हर समय किसी न किसी घरेलू काम पर बाँधे रखा जाता था। इस प्रकार स्पोर्ट्समैन के रूप में उसके कैरियर को बर्बाद करके उसे कैप्टन कपूर ने कुंठाग्रस्त बनाया। यही नहीं, कैप्टन कपूर और उसका दोस्त कैप्टन वर्मा दोनों जाति के नाम पर निन्दा भी किया करते थे। तंग आकर रामचन्दर ने अधिकारियों से शिकायत की कि उसे कपूर के यहाँ कोई विशेष अभ्यास प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए उसे तबादला चाहिए। इससे कैप्टन कपूर का उत्पीड़न कार्य तेज होने लगता है और कपूर के यहाँ काम करने से रामचन्दर इनकार भी कर देता है। एक दिन कैप्टन कपूर के यहाँ आये मेहमानों में से किसी की बच्चे ने टट्टी की, तो कपूर ने रामचन्दर से टट्टी साफ करने को कहा। लेकिन अभिमानी रामचन्दर उसके लिए तैयार नहीं हुआ। क्रुद्ध होकर कपूर ने रामचन्दर की भर्त्सना की कि परम्परा से तुम लोग हमारी टट्टी साफ करते आये हो, फिर तू अकेला भंगी क्यों मना कर सकता। यह रामचन्दर के लिए सह सकने से अधिक था। किसी तरह उसने अर्दली के काम से मुक्ति पाई। उसके बाद दस दिन के सख्त अभ्यास के बल पर रामचन्दर ने पाँच हजार की दौड़ की प्रतियोगिता में कपूर को हराकर प्रथम निकला। इस पर कपूर इतना क्रुद्ध हो उठता है कि वह अपने मित्र कैप्टन वर्मा के साथ मोटर बाईक पर आकर उसे जाति का नाम लेकर गाली देता है। चिट्टे चूहड़े हराम की सट्ट तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। सुनकर रामचन्दर चुप नहीं रह सका। वह क्रोधावेग में अपने आपको भूल गया और दोनों को गोली मार दी। रामचन्दर पकड़ा जाता है। उस पर कत्ल का इलजाम लगाकर कोर्ट मार्शल किया जाता है। दोनों पक्षों के बयानों के बाद कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के अन्त में पाँच जजों के फैसले का समय आया। इसमें दो जजों का फैसला था कि उसे उमर कैद दिया जाय और अन्य दो जजों का निर्णय था कि उसे फाँसी पर चढ़ाया जाय। कानून की दृष्टि में रामचन्दर अपराधी है। इसलिए कानूनी न्याय के अनुसार रामचन्दर को मृत्युदंड दे दिया जाये। इस तथ्य को शुरू में ही स्वीकार करते हुए रामचन्दर का वकील विकास राय अदालत के सामने कुछ ऐसे प्रश्न उठाता है कि जो कानूनी न्याय के परे मानवीय यथार्थ के पक्ष में जुड़े हैं। रामचन्दर ने भी अपने अपराध को मंजूर करते हुए अपने लिए मृत्यु दंड ही माँगता है। अन्त में इस पेंचीदे मुद्दे पर चीफ जज कर्नल सूरत सिंह के कास्टिंग वोट पर अन्तिम निर्णय छोड़ा गया। फैसला अगले दिन के लिए स्थगित किया गया। उस दिन कर्नल सूरत सिंह को ब्रिगेडियर के पद पर तरक्की प्राप्त होने को खुशी में पार्टी आयोजित की गयी थी। उसमें रामचन्दर भी बुलाया गया। कैप्टन कपूर को पार्टी से बाहर किया गया। अपमानित कपूर बाहर जाकर गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। सूरत सिंह उसी पार्टी रामचन्दर को शराब पिलाकर उसके प्रति अपनी हार्दिकता प्रकट करता है और मृत्यु दंड का निर्णय सुनाकर कानूनी न्याय भी निभा लेता है।

कोर्ट मार्शल नाटक की प्रासंगिकता

स्वदेश दीपक ने अपनी लेखनी के माध्यम से दलित वर्ग की जिस पीड़ा, त्रासदी, संत्रास, वेदना और अभाव को उजागर करने का प्रयास किया है वह तत्कालीन समाज के साथ–साथ वर्तमान समाज में भी किसी न किसी रूप में व्याप्त है। दलित वर्ग के प्रति समाज की सोच में परिवर्तन तो आया है लेकिन इस दिशा में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि यह नाटक आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। इस लेख का एक उद्देश्य यह भी है कि दलितों के प्रति होने वाले अत्याचार आदि की घटनाओं का चित्रण करके समाज को इन अत्याचारों के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करना भी है। ऐसे में कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है।

भारत में दलित उत्पीड़न की कई प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:

लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार (1997): बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में, ऊँची जातियों के लोगों द्वारा एक दलित समुदाय के 58 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया।

बंत सिंह केस (1999): पंजाब में एक विकलांग दलित महिला, रामवती देवी को गाँव के बाहर नग्न कर परेड किया गया था।

कंबालापल्ली की घटना (2000): कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के कम्बलपल्ली में सात दलितों को एक घर में बंद कर दिया गया था और एक उच्च जाति के रेड्डी की भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया गया था।

खैरलांजी हत्याकांड (2006): महाराष्ट्र के भंडारा जिले के खैरलांजी गांव में एक दलित परिवार के साथ सामूहिक हिंसा और हत्या का मामला हुआ। इस घटना में भीमा बूटे नामक दलित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को गांव के लोगों ने बेरहमी से मारा–पीटा और महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए।

रोहित वेमुला केस (2016): हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। रोहित दलित समुदाय से थे और उन पर जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा।

उना दलित अत्याचार (2016): गुजरात के उना में कुछ दलित युवकों को गौहत्या के आरोप में भीड़ ने बुरी तरह पीटा। इन युवकों को सरेआम बांधकर उनकी बर्बरता से पिटाई की गई।

हरियाणा IPS अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या (2025): 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने हरियाणा पुलिस

में एडीजीपी के पद पर तैनात रहते हुए आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित आठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर जाति–आधारित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और सिस्टमैटिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

आईपीएस पूरन कुमार केस एक विवादास्पद मामला है जिसमें हरियाणा के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 को आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिनमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया शामिल थे।

पूरन कुमार के सुसाइड नोट में आरोप लगाए गए थे कि उन्हें बार–बार ऐसी पोस्टिंग दी जा रही थी जो उनके कैडर से बाहर थीं और उन्हें मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा था। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत कौर ने भी आरोप लगाया था कि एफआईआर अधूरी है और सभी आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) को जोड़ दिया है, जिसमें आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। हरियाणा सरकार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटा दिया है और शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद से हटा दिया गया है

(**नोट:** इन घटनाओं को इंटरनेट के माध्यम से लिया गया है। लेखक इनकी सत्यता/असत्यता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है। इनके उल्लेख का उद्देश्य दलित उत्पीड़न के प्रति लोगों के मन में संवेदशीलता उत्पन्न करना है और उन्हें भी समाज का एक मुख्य अंग समझने के लिए प्रेरित करना है।)

इन घटनाओं ने दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की गंभीरता को उजागर किया है और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। उपर्युक्त घटनाओं से यह स्पष्ट है कि समाज में दलित उत्पीड़न का देश अभी भी किसी न किसी रूप में व्याप्त है और इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। साथ ही इन घटनाओं के प्रकाश में यह नाटक आज भी प्रासंगिक बना हुआ है।

निष्कर्ष

दलित युवक के पीड़ा की सशक्त अभिव्यक्ति कोर्ट मार्शल नाटक में है। शोषित, पीडित, प्रताड़ित उपेक्षित, युवक की त्रासद गाथा यह नाटक है। स्वदेश दीपक ने दीन, दलितों, दुःखी और वंचित वर्ग का पक्ष लिया है और उनकी वास्तविकता को समाज के सामने लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है। अन्याय शोषण और तिरस्कार की परम्परा के विरोध में संघर्ष करता रामचंदर मानवीय समानता, मूल्यों और अधिकारों की स्थापना के लिए प्रयत्नरत है। संविधान और कानून में जिस समता, बंधुत्व और स्वतन्त्रता आदि की बात की जाती है, वह वास्तव में समाज में दिखाई नहीं देती है। इस तथ्य को स्वदेश दीपक ने उठाने का प्रयास किया है। रामचंदर के जीवन की त्रासदी और समाज के तथाकथित उच्च वर्ग की मानसिकता को नाटककार ने सजीवता के साथ सामने लाने का प्रयास किया है। जिसमें वह सफल भी हुआ है।

नाटक की पृष्ठभूमि के आधार पर कहें तो स्वदेश दीपक का नाटक कोर्ट–मार्शल भारतीय सेना के भीतर व्याप्त जातिवाद और सामाजिक भेदभाव पर एक तीखा और कालजयी प्रहार है, जो एक दलित सिपाही रामचन्द्र की कहानी के जरिए न्याय, मानवता और व्यवस्था के खोखलेपन पर सवाल उठाता है। यह नाटक सैन्य अनुशासन और सामाजिक पूर्वाग्रहों के टकराव को दर्शाते हुए दर्शकों पर गहरा असर छोड़ता है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

इस नाटक की समस्या आज भी समाज में देखने को मिल रही है। जाति के नाम पर अत्याचार और शोषण की घटनाएँ आज भी समाचार पत्रों के किसी न किसी पृष्ठ पर अंकित है, जो इस नाटक की प्रासंगिकता को जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बनाये रखने में सहायक सिद्ध होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दशरथ ओझा– हिन्दी नाटकः उद्भव और विकास– राजपाल एंड संस– दिल्ली
2. बच्चन सिंह– हिन्दी नाटक– राधाकृष्ण प्रकाशन– दिल्ली
3. सं0 डॉ0 नरेन्द्र मोहन– समकालीन हिन्दी नाटक और रंगमंच
4. स्वदेश दीपक–2023–कोर्ट मार्शल–वाणी प्रकाशन
5. सम्पादक– प्राचार्य डॉ0 उमाकांत बिरादार, डॉ0 विजय कुमार रोडे–2015– दलित विमर्शः नाटक तथा रंगमंच– दिव्य डिस्ट्रीब्यूटर्स– आईएसबीएन नं0 978–93–80913–16
6. प्रो (डॉ0) रणविजय कुमार, सुरभि श्रीवास्तव– 2015 शोध प्रबंध– साठोत्तर हिन्दी नाटकों में विद्रोही चेतना का स्वरूप एवं साक्षात्कारः एक अनुशीलन